रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 2004/कार्तिक 10, 1926

No. 482] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 2004/KARTIKA 10, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2004

(आयकर)

सा.का.नि. 723(अ).—जबकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार एवं सूडान गणराज्य की सरकार के बीच अनुबद्ध करार उक्त करार को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने के उक्त करार के अनुच्छेद 29 के अन्तर्गत दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा एक दूसरे को परवर्ती अधिसूचनाओं की प्राप्ति की तारीख से अर्थात् 15 अप्रैल, 2004 को प्रवृत्त हो गया है।

अत: अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि उक्त करार के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 271/2004-वि.क.प्र./फा. सं. 501/1/97-वि.क.प्र.]

पूनम दत्त, संयुक्त सचिव

3267 GI/2004

अनुबन्ध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और
राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

सूडान गणराज्य की सरकार

के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार और सूडान गणराज्य की सरकार आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक करार निष्पन्न करने की इच्छा से,

निम्नानुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद - 1

करार के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं ।

अनुच्छेद - 2
करार के अंतर्गत आने वाले कर

1. यह करार किसी संविदाकारी राज्य अथवा इसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा, चाहे वे किसी भी तरह से लगाए जाएं ।

2. चल अथवा अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभें पर लगाए गए करों और उद्यमों द्वारा की जाने जाने वाली मजदूरी अथवा वेतनों की कुल राशियों पर करों सहित कुल आय अथवा आय के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय पर लगाए गए करों के रूप में माना जाएगा ।

3. जिन मौजूदा करों पर यह करार लागू होगा वे विशेषतया इस प्रकार हैं :

(क) भारत में, आयकर जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है ;
(जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा);

(ख) सूडान में :-

(1) आयकर जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं ;
(i) वैयक्तियों और कम्पनियों पर व्यवसाय ;
(ii) किराया आयकर ;
(iii) मजदूरियों और वेतनों पर व्यक्तिगत आयकर ;

(2) पूंजीगत अभिलाभ कर ;
(जिन्हें इसके बाद "सूडानी" कर' कहा जाएगा);

4. यह करार किसी भी समरूप अथवा तत्वतः समान करों पर भी लागू होगा जो करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो उनके अपने -अपने कराधान कानूनों में किए गए हों ।

अनुच्छेद -3
सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) 'भारत' पद से अभिप्रेत है - भारत का राज्यक्षेत्र, तथा इसके राज्यक्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है जिनमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के करार सहित भारतीय कानून तथा अंतराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं ;

(ख) "सूडान"' पद से अभिप्रेत है - पद से सूडान-गणराज्य अभिप्रेत तथा जब कि इस का प्रयोग भौगोलिक रूप से किया जाए, तो इसमें सूडान गणराज्य के क्षेत्रीय समुद्र के बाहर का कोई वह क्षेत्र भी शामिल होगा जिसे महाद्वीपीय रेतीले क्षेत्र के बारे में अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार अथवा सूडान गणराज्य के कानूनों के तहत नामोद्दिष्ट किया गया हो अथवा इसके बाद नामोद्दिष्ट किया जाए जिसपर समुद्र क्षेत्र एवं अवमृदा के सम्बन्ध में सूडान गणराज्य के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकारों एवं प्राकृतिक स्रोतों का प्रयोग किया जा सके ;

(ग) 'एक संविदाकारी राज्य' तथा 'दूसरा संविदाकारी राज्य' पदों का अर्थ संदर्भ की अपेक्षानुसार भारत अथवा सूडान गणराज्य है ;

(घ) 'व्यक्ति' पद में कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई निकाय और कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में लागू कराधान कानूनों के तहत एक कराधेय इकाई के रूप में समझा जाता है ;

(ड.) 'कम्पनी' पद से कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में समझा जाता है ;

(च) ''उद्यम'' पद किसी कारोबार के चलाये जाने के संबंध में लागू होता है ;

(छ) ''एक संविदाकारी राज्य का उद्यम'' तथा ''दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम'' पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;

(ज) ''अन्तरराष्ट्रीय यातायात'' पद से अभिप्रेत है - किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो सिवाए उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो ;

(झ) "सक्षम प्राधिकारी" पद का अर्थ है :-

(i) सूडान : में, वित्त मंत्री और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

(ii) भारत में : केन्द्रीय सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

(ञ) "राष्ट्रिक" पद का अर्थ है :

(i) किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता धारण करने वाला कोई व्यष्टि ;

(ii) कोई विधिक व्यक्ति, भागीदारिता, अथवा संस्था, जिसे इस प्रकार की अपनी हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो ;

(ट) "कर" पद का अर्थ है, संदर्भ की अपेक्षानुसार, भारतीय अथवा सूडानी कर किन्तु इसमें उन करों के संबंध में किसी भूल या चूक के बारे में अदा की जाने वाली कोई ऐसी राशि शामिल नहीं है जिन पर यह करार लागू होता है अथवा जो उन करों के संबंध में अधिरोपित किसी अर्थदण्ड अथवा जुर्माने की द्योतक हो ।

(ठ) " वित्तीय वर्ष " पद का अर्थ है :-

(i) भारत के मामले में अप्रैल माह के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाला वित्तीय वर्ष;

(ii) सूडान के मामले में जनवरी के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाला वित्तीय वर्ष ।

2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा जहां तक इस करार को लागू किए जाने का प्रश्न है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसमें अपरिभाषित किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह करार लागू होता है और यह अर्थ उस राज्य के किन्हीं अन्य कानूनों के अंतर्गत लगाए गए अर्थ पर प्रभावी होगा जो उस राज्य के कर कानूनों के अंतर्गत लगाए जाते हैं ।

अनुच्छेद - 4
निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ 'एक संविदाकारी राज्य का निवासी' पद से अभिप्रेत है - कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध स्थान, अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण कर लगाया जा सकता है । तथापि, इस पद में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जिस पर उस राज्य में स्थित स्रोतों से प्राप्त आय के बारे में ही उस राज्य में कर लगाया जा सकता हो ।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यष्टि दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

(क) उसे उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों ही संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्टतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;

(ख) यदि उस संविदाकारी राज्य का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित केन्द्रित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसका दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य में कोई स्थाई निवास - गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;

(ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है ;

(घ) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का समाधान करेंगे।

3. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबन्ध स्थान स्थित है । यदि उस राज्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता हो जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध स्थान स्थित है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से इस प्रश्न का समाधान करेंगे ।

अनुच्छेद - 5
स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए 'स्थायी संस्थापन' पद का आशय कारोबार के उस निश्चित स्थान से है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है।

2. ''स्थायी संस्थापन'' पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) प्रबंध का कोई स्थान ;

(ख) कोई शाखा ;

(ग) कोई कार्यालय ;

(घ) कोई कारखाना ;

(ङ) कोई कार्यशाला ; और

(च) कोई बिक्री बाजार ;

(छ) किसी व्यक्ति से संबंधित कोई भाण्डागार जो दूसरों को भण्डारण सुविधाएं मुहैया कराता हो ;

(ज) कोई फार्म बागवानी अथवा अन्य स्थान जहां कृषि, वानिकी, बागवानी अथवा इससे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों, और

(झ) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआँ, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ।

3. कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण, प्रस्थापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप तभी एक स्थायी संस्थापन बनेगा यदि ऐसा भवन स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप छह महीने से अधिक समय तक चलता रहता हो ।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी 'स्थायी संस्थापन' पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :-

(क) उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना ;

(ख) मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उक्त उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना ;

(ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना ;

(घ) उक्त उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने के लिए अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;

(ड.) उद्यम के लिए प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के लिए कारोबार के लिए निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;

(च) उप-पैराग्राफ (क) से (ड.) तक में उल्लिखित केवल किन्हीं कार्य-कलापों के संयोजन के लिए व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप का हो ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के किसी अभिकर्ता, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति अन्य संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से एक संविदाकारी राज्य में कार्य करता है, तो उक्त उद्यम का उन कार्यकलापों के संबंध में, जिन्हें उक्त व्यक्ति उद्यम के लिए करता है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन का होना माना जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति को आदतन :-

(क) उस उद्यम के नाम से उस राज्य में संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आदतन उस प्राधिकार का प्रयोग भी करता हो, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की

गतिविधियां पैराग्राफ 4 में उल्लिखित उन गतिविधियां तक सीमित न हों, जिन्हें यदि वह कारोबार के एक निश्चित स्थान के माध्यम से प्रयोग करता है तो उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं बनाएगा ; अथवा

(ख) ऐसा कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं हो, किन्तु वह फिर भी आदतन प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसे माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से माल अथवा पण्य-वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता हो ; अथवा

(ग) स्वयं उक्त उद्यम के लिए पूर्णतया अथवा लगभग पूर्णतया प्रथोल्लिखत राज्य में आदतन आदेश प्राप्त हो ; अथवा

(घ) इस प्रकार कार्य करते हुए वह उद्यम की ओर से उस संविदाकारी राज्य में माल अथवा पण्य का निर्माण अथवा प्रसंस्करण करता है ।

6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी किसी संविदाकारी राज्य के किसी बीमा उद्यम का पुनर्बीमा के मामले को छोड़कर, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन होना तभी माना जएगा, यदि वह दूसरे राज्य के राज्य-क्षेत्र में प्रीमियम एकत्र करता है अथवा किसी ऐसे स्वतंत्र हैसियत वाले किसी एजेंट, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, से भिन्न किसी दूसरे व्यक्ति वहां स्थित जोखिमों का बीमा करता है ।

7. किसी संविदाकारी राज्य में किसी उद्यम का मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा, कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति उनके कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों । तथापि, जब किसी ऐसे एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा प्रायः पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों तो वह ऐसी स्थिति में इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत एक स्वतंत्र हैसियत वाला एजेंट नहीं समझा जाएग ।

8. यह तथ्य कि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों कम्पनियों में से किसी भी कम्पनी को स्वतः दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेद - 6
अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (कृषि अथवा वानिकी से प्राप्त आय सहित) से प्राप्त आय पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

2. 'अचल सम्पत्ति' पद का अर्थ वही होगा जो अर्थ उस संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है, जिसमें विचाराधीन सम्पत्ति स्थित है । इस पद में, किसी भी हालात में, ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्रोतों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए अथवा दोहन के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार, जलयान , नाव और वायुयान अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से उद्भूत होने वाली आय पर लागू होंगे ।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद - 7
कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो । यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुए माने जाएंगे ।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण वे लाभ हुए माने जाएंगे जिनके होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक-समान या मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक-समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है ।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण करने में उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार खर्च किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल होंगे, भले ही वे उस राज्य के कर कानूनों के प्रावधानों और सीमाओं के अनुसार उस राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित हो अथवा अन्यत्र किए गए हों ।

4. कोई लाभ, केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं ही खरीदी हैं ।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभों का तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठीक तथा पर्याप्त कारण नहीं हों ।

6. जहां लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल होती हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 8
जहाजरानी और वायु परिवहन

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त होने वाले लाभ केवल उसी राज्य में कराधेय होंगे ।

2. यदि नौपरिवहन उद्यम का प्रभावी प्रबंधन किसी जलयान पर है तो इसे उस संविदाकारी राज्य में स्थित माना जाएगा जिसमें जलयान का घरेलू पत्तन स्थित है अथवा यदि, ऐसा कोई घरेलू पत्न नहीं है तो इसे उस संविदाकारी राज्य में स्थित माना जाएगा जिसका कि जलयान का प्रचालक एक निवासी है

3. अंतरराष्ट्रीय यातायात में माल अथवा पण्य-वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रयोग किए जा रहे कंटेनरों के प्रयोग, अनुरक्षण अथवा उन्हें किराये पर देने (जिसमें कंटेनरों के परिवहन के लिए ट्रेलर और अन्य उपस्कर शामिल हैं)से किसी परिवहन उद्यम, जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है, के द्वारा प्राप्त लाभ केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे, जब तक कि कंटेनरों का प्रयोग केवल दूसरे राज्य के भीतर नहीं किया जाता है ।

4. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त व्यवसाय अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 9
सहयोगी उद्यम

1. जहां

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं ;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं तो ऐसा कोई भी लाभ, जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तद्नुसार कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तद्नुसार उस पर कर लगाता है जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें वे शर्तें होती जो कि स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होती, तो दूसरा राज्य उन लाभों पर वहां प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा । इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे ।

अनुच्छेद 10
लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे ।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता लाभांश का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लाभांशों की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । यह पैराग्राफ उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिन लाभों में से लाभांश अदा किए जाते हैं ।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त 'लाभांश' शब्द का अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है, जो लाभ की भागीदारिता के ऋण दावे न हों, और अन्य ऐसी निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे ।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर, किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, सिवाय इसके कि जो लाभांश उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा किया जाता हो, अथवा जहां तक जिस कि धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है । वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है और न ही कम्पनी के अवितरित लाभों पर कम्पनी के अवितरित लाभ पर कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों ।

अनुच्छेद - 11
ब्याज अथवा अभिलाभ

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज अथवा अभिलाभ पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज अथवा अभिलाभ पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज अथवा अभिलाभ का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज अथवा अभिलाभ की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. पैराग्राफ (2) के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज अथवा अभिलाभ को उस दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि वह निम्नलिखित के द्वारा प्राप्त किया गया हो और हितभागी रूप से अपने स्वामित्व में रखा जाता है :

(क) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण ; अथवा

(ख) (i) भारत के मामले में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल हाउसिंग बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (आई.सी.आई.सी.आई.) ; और

(ii) सूडान के मामले में, बैंक ऑफ सूडान और सूडानी विकास निगम बैंक ; अथवा

(ग) कोई अन्य संस्थान जिस पर दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच पत्रों के आदान-प्रदान से समय समय पर सहमति बनती हो ।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त 'ब्याज अथवा अभिलाभ' शब्द का अभिप्राय प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय से है चाहे वह बंधक द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नहीं और चाहे उसे

ऋणदाता के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं और विशेष तौर पर सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों से प्राप्त आय है जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों के संबंध में प्रदान किए जाने वाले प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं । विलम्बित अदायगी के लिए अर्थदंड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज अथवा अभिलाभ नहीं समझा जाएगा ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज अथवा अभिलाभ का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज अथवा अभिलाभ अर्जित हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से वहां स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस ऋणदावे के बारे में ब्याज अथवा अभिलाभ अदा किया जाता है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है । इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।

6. किसी संविदाकारी राज्य में ब्याज अथवा अभिलाभ तब उत्पन्न हुआ माना जाएगा जब ब्याज अदा करने वाला उस राज्य का एक निवासी हो । तथापि, जहां ब्याज अथवा अभिलाभ अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था, जिस पर ब्याज अथवा अभिलाभ की अदायगी की गई है और इस प्रकार का ब्याज अथवा अभिलाभ उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तब वह ब्याज अथवा अभिलाभ उस संविदाकारी राज्य में उत्पन्न हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

7. जहां, ब्याज अथवा अभिलाभ अदा करने वाले और हितभागी स्वामी अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज अथवा अभिलाभ की रकम, उस ऋणदावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध अंतिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे । ऐसे मामले में अदायगी के आधिक्य भाग पर इस करार के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 12
रायल्टियाँ एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियाँ एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों, और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा लेकिन यदि प्राप्तकर्ता रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. (क) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त 'रायल्टियां' शब्द का अभिप्राय है - किसी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृति के किसी कापीराइट, जिसमें सिनेमा-फिल्मों अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में अथवा टेपें शामिल हैं, किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन या मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां ।

(ख) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद का अभिप्राय - तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा की गई सेवाओं की व्यवस्था सहित कोई प्रबंध-कार्य, तकनीकी अथवा परामर्शी सेवाएं करने के प्रतिफल में की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां हैं, परन्तु इसमें इस करार के अनुच्छेद 14 तथा 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए की गई अदायगियां शामिल नहीं हैं ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में यथा-स्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लागू होंगे ।

5. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी, जब अदाकर्ता उस राज्य का एक निवासी हो । तथापि, जहा रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और ऐसी रायल्टियां एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हों, तब ऐसी रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी, जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

6. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण किसी प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना के संबंध में प्रदत्त रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार के संबंधों की अनुपस्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी में सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगियों का आधिक्य भाग इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कराधेय होगा ।

अनुच्छेद - 13
पूंजीगत अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारबार सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभों पर जो सम्पत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से संबंधित, चल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है ।

4. किसी ऐसी कम्पनी के पूंजीगत स्टॉक के शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर जिसकी सम्पत्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्रधानतः किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

5. किसी ऐसी कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है ।

अनुच्छेद - 14
स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले इसी प्रकार के अन्य कार्यकलापों के निष्पादन से प्राप्त आय, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर जिनमें ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता हो, केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी ;

(क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ, दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्‌भूत हुई मानी जा सकती है ; अथवा

(ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि या अवधियां किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिनों अथवा इससे अधिक दिन के लिए हों, तो उस मामले में, आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त होती है ।

2. 'व्यावसायिक सेवाएं' पद में विशेषतया स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक या शिक्षण संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तु-विदों, दन्त-चिकित्सकों और लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप सम्मिलित हैं ।

अनुच्छेद - 15
परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है । यदि ऐसा नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में किया गया है तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा , यदि :

(क) प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में आरम्भ होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर अधिक से अधिक 183 दिन की अवधि या अवधियों के लिए दूसरे राज्य में उपस्थित रहता है ; और

(ख) पारिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया जाता है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है ; और

(ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक दूसरे राज्य में रखता हो ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में संचालित पोत अथवा विमान पर किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद - 16

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अन्य अदायगियों पर जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, के पर्यवेक्षी कार्य संबंधी निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हो, उन पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

अनुच्छेद - 17
मनोरंजनकर्ता और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के उसके वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए निजी कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7 , 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं ।

3. किसी मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा किसी एक संविदाकारी राज्य में किए गए कार्यकलापों से प्राप्त आय पर पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि ऐसे कार्यकलाप किसी एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों अथवा इसके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों के लोक निधियों द्वारा व्यापक रूप से समर्थित हों । ऐसे मामले में उक्त आय केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कराधेय होगी जिसका मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी एक निवासी है ।

अनुच्छेद - 18
पेंशन

1. अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के प्रावधानों के अधीन एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को पिछले नियोजन के प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन और अन्य ऐसे पारिश्रमिक पर केवल उस राज्य में कर लगेगा ।

अनुच्छेद - 19
सरकारी सेवा

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उपप्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उस राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में की गई सेवाओं के लिए किसी व्यष्टि को अदा किए गए पेंशन से भिन्न वेतन, मजदूरी और अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

(ख) तथापि, ऐसे वेतनों, मजदूरियों और अन्य ऐसे पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लगेगा, यदि सेवाएं उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की जाती हैं और उक्त व्यष्टि उस राज्य का निवासी हो, जो :

(i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक हो ; अथवा

(ii) मात्र सेवाएं करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो ।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित निधियों द्वारा अथवा उनमें से उस राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में किसी व्यष्टि को अदा की गई पेंशन पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा ।

(ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल तभी कर लगेगा यदि उक्त व्यष्टि उस दूसरे राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो ।

3. अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे किसी कारबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और अन्य ऐसे पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 20
प्रोफेसर, अध्यापक और शोधकर्ता

1. कोई प्रोफेसर, अध्यापक अथवा शोधकर्ता जो दोनों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा दूसरी ऐसी संस्था में मात्र अध्यापन करने अथवा शोध कार्य करने अथवा दोनों के लिए उस संविदाकारी राज्य का कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए दौरा करता है और जो उस दौरे से तत्काल पूर्व उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था, उससे ऐसे प्रयोजनार्थ उस संविदाकारी राज्य के उसके पहले दौरे की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसे अध्यापन अथवा शोध कार्य के लिए प्राप्त ऐसे किसी भी पारिश्रमिक पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी ।

2. यह अनुच्छेद शोधकार्य से प्राप्त आय पर केवल तभी लागू होगा जब व्यष्टि द्वारा ऐसा शोधकार्य जनहित में किया गया हो न कि मुख्यतया कुछ निजी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के लाभ के लिए ।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, किसी व्यष्टि को किसी संविदाकारी राज्य का निवासी तभी माना जाएगा जब वह उस वित्तीय वर्ष में जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है अथवा उसके तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उस राज्य का निवासी रहा हो ।

अनुच्छेद - 21

विद्यार्थी

1. किसी विद्यार्थी को जो दूसरे किसंविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले किसी एक संविदाकरी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उपस्थित है, दूसरे राज्य में अनुदानों, ऋणों और छात्रवृत्तियों के अलावा निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी :

(क) उस दूसरे राज्य से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ की गई अदायगियां ; और

(ख) दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके द्वारा किए गए नियोजन से उसे पारिश्रमिक प्राप्त होता कि है यदि ऐसा नियोजन उसके अध्ययन से प्रत्यक्ष संबंध रखता हो ।

2. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी अवधि के लिए लागू होंगे जो कि शुरू किए गए शिक्षण अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हो, परन्तु किसी भी हालत में, किसी भी व्यष्टि को इस अनुच्छेद के लाभ उस दूसरे राज्य में उसके प्रथमतः पहुंचने की तारीख से लगातार छह वर्षों से अधिक के लिए प्राप्त नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 22
अन्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में ही कराधेय होंगी ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्याम से कारोबार करता है अथवा वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, यदि किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर स्थित स्रोतों से लाटरियों, वर्ग पहेलियों, घुड़दौड़ों, कार्ड गेमों और किसी भी प्रकार के अन्य खेलों सहित रेसों अथवा जुएबाजी अथवा किसी भी स्वरूप की शर्त लगाने से आय प्राप्त करता है, तो ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा ।

अनुच्छेद - 23
दोहरे कराधान के अपाकरण के तरीके

1. जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी दूसरे संविदाकारी राज्य से आय प्राप्त करता है जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है, वहां प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य उस निवासी की आय पर दूसरे राज्य में अदा किए गए आयकर की बराबर की राशि पर कर से कटौती की अनुमति देगा । ऐसी राशि, तथापि, आयकर के उस अंश से जो कटौती किए जाने से पूर्व संगणित की जाती है अधिक नहीं होगी जो उस आय से उद्भूत होती है, जैसा भी मामला हो, जिस पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

2. जहां इस करार के किसी उपबंध के अनुसार किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होती है, तो ऐसे निवासी की शेष आय पर कर की राशि की गणना करते कि समय ऐसा राज्य छूट प्राप्त आय को भी ध्यान में रखेगा ।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 में उल्लिखित संविदाकारी राज्य में देय कर में वह कर भी शामिल समझा जाएगा जो देय होता परन्तु संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत दिए गए कर प्रोत्साहनों के कारण देय नहीं है और जिनका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है ।

अनुच्छेद - 24
सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर उन्हीं परिस्थितियों विशेष रूप से निवास के संबंध में लागू होती हो अथवा लागू की जानी हो । अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी यह उपबंध उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्य के निवासी नहीं हैं ।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों को करने हेतु लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो । इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को, कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार कि ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे जो अपने निवासियों को देता है । इस उपबंध का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कम्पनी के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लाभ पर कर की ऐसी दर लगाने से रोकना है जो कि कर की उस दर से अधिक है जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की ऐसी ही कम्पनी के लाभ पर लगाई जाती है और न ही अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल है ।

3. ऐसे मामले को छोड़कर जहां अनुच्छेद 9 का पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7 अथवा अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 7 के उपबंध लागू होते हैं, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया ब्याज, रायल्टी तथा अन्य भुगतान ऐसे उद्यम के कराधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अनुसार कटौती योग्य होंगे मानो उनका भुगतान प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया हो । इसी प्रकार एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के ऋण-दावे दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, ऐसे उद्यम के कराधेय पूंजी के निर्धारण के प्रयोजनार्थ, उन्हीं शर्तों के तहत कटौती योग्य होंगे, यदि वह प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को अनुबंधित किए गए हों ।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिसकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो या उनके द्वारा नियंत्रित की जाती हो, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा या तत्संबंधित कोई ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगीं जो उस कराधान से और तत्संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण है जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य इसी प्रकार के उद्यमों पर लागू की जाती है या लागू की जा सकती है ।

5. इस अनुच्छेद के उपबंध, अनुच्छेद 2 के उपबंधों के होते हुए भी प्रत्येक किस्म और विवरण के करों पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 25
पारस्परिक करार विधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाईयों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस करार के अनुसार नहीं है तो वह उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों में उपचारों की व्यवस्था होने के बावजूद भी उस संविदाकारी राज्य में सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो वह उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह राष्ट्रिक है । यह मामला उस कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना के तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामतः ऐसा कराधान लगाया गया है जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है ।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार के उद्देश्य से जो इस करार के अनुरूप नहीं हैं, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा । इस प्रकार किए गए किसी भी करार को लागू किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के स्वदेशी कानूनों में कोई भी समय-सीमा क्यों न हो ।

3. इस करार की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाईयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । वे राज्य उन मामलों में भी दोहरे कराधान को हटाने के लिए एक-दूसरे से परामर्श करेंगे जिनके लिए इस करार में व्यवस्था नहीं की गई हो ।

4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अभिप्राय से किसी समझौते पर पहुंचने करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं । जब समझौता करने की दृष्टि से विचारों का मौखिक आदान-प्रदान करना उपयुक्त हो तो ऐसा आदान-प्रदान एक आयोग के माध्यम से किया जा सकता है जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल हों ।

अनुच्छेद - 26
सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के समक्ष प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की प्रमणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित आंतरिक कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं जो इस करार के अंतर्गत आते हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं हो । सूचना का आदान-प्रदान करना अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है । किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना उक्त राज्य के स्वदेशी कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें कोई न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण करने, उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने में शामिल हों जो इस करार के अंतर्गत आते हैं । ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजन के लिए ही करेंगे । वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे ।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;

(ख) ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों सहित) की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं हैं ;

(ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वृत्तिका संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हों, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आर्डर पब्लिक)

अनुच्छेद - 27
वसूली सहायता

1. उन करों की वसूली में संविदाकारी राज्य एक दूसरे की सहायता देने का वचन देते हैं जो इस करार के " राजस्व दावे" के रूप में इस अनुच्छेद में उल्लिखित ऐसे करों से संबंधित ब्याज, लागत तथा सिविल शास्तियों से संबंधित हैं ।

2. राजस्व दावे की वसूली में संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहायता के लिए अनुरोध में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(i) ऐसे प्राधिकारी द्वारा दिया गया इस बात का प्रमाण पत्र कि उसे राज्य के कानून के अधीन दावा किया गया राजस्व अंतिम रूप से निर्धारित कर लिया गया है और करार में सम्मिलित कर से संबंधित हैं ;

(ii) कर संग्रहकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी सूचना की एक आधिकारिक प्रति ।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ दावा किया गया राजस्व अंतिम रूप से तब निर्धारित कर लिया जाता है जब किसी संविदाकारी राज्य को उसके आंतिरक कानून के अंतर्गत राजस्व दावे की वसूली करने का अधिकार हो और कर-दाता को ऐसी कर वसूली रोकने का कोई अधिकारी नहीं हो । आग्रहकर्ता राज्य यह प्रमाणित करेगा कि इसने राजस्व दावे की वसूली के सभी उपाय कर लिए हैं ।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वसूल की गई राशि दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित कर दी जाएगी । तथापि, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य दोनों राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच परस्पर सहमति की सीमा तक ऐसी सहायता प्रदान करने के दौरान उपगत लागत, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति हेतु हकदार होगा ।

5. इस अनुच्छेद में किसी भी बात का अर्थ दोनों में से, किसी भी संविदाकारी राज्य पर उन प्रशासनिक उपायों से भिन्न स्वरूप के प्रशासनिक उपाय की बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा जो कि उसके स्वयं के करों की वसूली में प्रयुक्त किए जाते हैं अथवा जो उसकी सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल है ।

अनुच्छेद - 28

राजनयिक मिशन के सदस्य और कौंसुली पद

इस करार की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक मिशन के सदस्यों अथवा कौंसुली पदों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद - 29
प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी राज्य इस करार को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा किए जाने के बारे में एक-दूसरे को राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में अधिसूचित करेंगे ।

2. यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद में प्राप्त होने वाली अधिसूचना की तारीख से प्रभावी हो जाएगा ।

3. इस करार के उपबंध निम्नानुसार प्रभावी होंगे :

(क) भारत में : जिस कैलेण्डर वर्ष में यह करार लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में ; और

(ख) सूडान में : जिस कैलेण्डर वर्ष में यह करार लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में पहली जनवरी को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाली किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में ।

अनुच्छेद - 30
समापन

यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा जब तक कि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता । दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से लेकर पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद शुरू होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले राजनयिक माध्यम से लिखित रूप में समापन का नोटिस देकर करार को समाप्त कर सकता है । ऐसी स्थिति में यह करार निम्न के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा :

(क) भारत में : जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष की पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में ;

(ख) सूडान में : जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष की पहली जनवरी को अथवा उसके बाद किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

खारतूम में वर्ष दो हजार तीन के अक्तूबर माह के बाइसवें दिन हिन्दी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया । सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। पाठों में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा ।

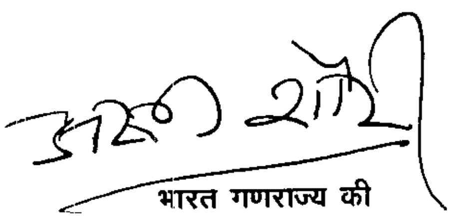

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

(अरुण शौरी)

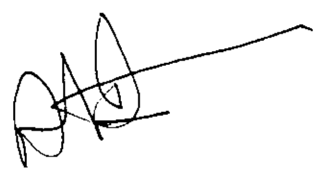

सूडान गणराज्य की सरकार की ओर से

(अहमद अल-मज़ौब अहमद)